

mi pkj ds fy, vLi rky ea nkf [kyk

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 3)

1. रोगी का नाम	
2. आपकी देखभाल के प्रभारी व्यक्ति का नाम (आपके लिए "ज़िम्मेदार क्लीनिसियन")	
3. अस्पताल और वार्ड का नाम	
4. अनुच्छेद 3 के तहत दाखिल किए जाने की तारीख	

ea vLi rky ea D; ka gk\

आपको इस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 3 के तहत रखा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि दो डॉक्टरों का मानना है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आपको अस्पताल में रखने की ज़रूरत है ताकि आपका उपचार और देखभाल की जा सके।

ea ; gka fdrus l e; rd jgk\

पहले आपको यहां पर छः महीनों तक रखा जा सकता है ताकि आपको आपकी आवश्यकता का उपचार दिया जा सके।

इस समय अवधि के दौरान आपको यह जगह छोड़कर तब तक नहीं जाना है जब तक कि आपकी देखभाल का प्रभारी व्यक्ति (आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिसियन) आपको ऐसा करने को न कहे। यदि आप इसे छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, तो स्टाफ आपको रोक सकता है, और यदि फिर भी आप यह जगह छोड़कर चले जाते हैं तो आपको वापस लाया जा सकता है।

bl ds ckn D; k gk\

आपके लिए ज़िम्मेदार चिकित्सक को जब यह महसूस होगा कि आप अस्पताल छोड़कर जाने लायक स्वस्थ हो गए हैं तब वह आपको बता देंगे। यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिसियन को यह लगेगा कि आपके लिए अस्पताल में छः महीने से अधिक समय तक रहना ज़रूरी है तो वे अस्पताल में आपके रहने की समय अवधि को अगले छः महीनों, और फिर 1 वर्ष तक के समय के लिए बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक समय अवधि के समाप्त होते समय आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिसियन इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे।

ef>s D; k mi pkj fn; k tk, xk\

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन और स्टाफ के अन्य सदस्यों को यदि आपके लिए किसी अन्य उपचार की आवश्यकता महसूस होगी तो इस बारे में वे आपसे बात करेंगे। अधिकांश स्थितियों में आपको उनकी सलाह माननी होगी।

तीन महीनों बाद, आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए आपको दी जा रही दवाओं या औषधियों के संबंध में विशेष नियम लागू होंगे। यदि आप दवाएं या औषधियां नहीं लेना चाहें, या फिर भले ही उन्हें लेना चाहें लेकिन आप बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए हों, तो इस अस्पताल से बाहर का एक डॉक्टर आपसे मुलाकात करने आएगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर आपसे और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ से बात करेगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर इस बात का फैसला करेगा कि आपको कौन-सी दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं। यदि आपात स्थिति आ जाए, तो आपकी सहमति के बिना आपको सिर्फ यही दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं।

स्वतंत्र डॉक्टर को एसओएडी (द्वितीय राय हेतु नियुक्त डॉक्टर) कहा जाता है और उसे एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा नियुक्त किया जाता है जो यह निगरानी करता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

कुछ विशेष उपचारों, जैसे इलेक्ट्रो-कनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी), के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं। यदि स्टाफ को यह महसूस हो कि आपको इन विशेष उपचारों में से किसी एक की ज़रूरत है, तो आपको नियम समझाए जाएंगे और आपको एक और पुस्तिका दी जाएगी।

D; k eñ vihy dj l drk gñ

हां, आप अनुच्छेद 3 के तहत आपको अस्पताल में रखे जाने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

ऐसा करने के लिए, आप अस्पताल के प्रबंधकों से स्वयं को छोड़ दिए जाने को कह सकते हैं। आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अस्पताल में रखा जाना चाहिए या नहीं यह फैसला करने के लिए अस्पताल के अंदर गठित एक विशेष समिति के लोग ही अस्पताल के प्रबंधक होते हैं। आपको अस्पताल छोड़कर जाने दिया जाए या नहीं इसका फैसला करने से पहले वे आपसे बातचीत करना चाह सकते हैं।

आप निम्नलिखित पते पर अस्पताल के प्रबंधकों को लिख सकते हैं :

या आप स्टाफ के किसी सदस्य से अस्पताल के प्रबंधकों के साथ आपका संपर्क कराने में सहायता करने को कह सकते हैं।

आपका सबसे करीबी रिश्तेदार भी अस्पताल के प्रबंधकों को यह लिख सकता/सकती है कि वे चाहते हैं कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए। इस पुस्तिका में आगे दिया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है। यदि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार ऐसा करता/करती है तो अस्पताल के प्रबंधकों को आपको 72 घंटों के अंदर जाने देना होगा बशर्ते कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन उन्हें यह न बताए कि अगर आपको जाने दिया गया तो आप स्वयं अपने या दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यदि ऐसा होता

है, तो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार अस्पताल के प्रबंधकों को अगले छः माह बाद, यदि आप तब तक अस्पताल में बने रहे, फिर से यह लिख सकता/सकती है कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने दिया जाए।

आप न्यायाधिकरण से भी कह सकते हैं कि आपको ज्यादा समय तक अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए।

U; k; kf/kdj .k D; k gkrk gS vkj ml l s D; k gksk\

न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र पैनल होता है जो यह फैसला कर सकता है कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। यह आपके साथ और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ के साथ एक बैठक करेगा। इस बैठक को "सुनवाई" कहा जाता है। यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से सुनवाई में अपनी सहायता करने को आने के लिए कह सकते हैं। सुनवाई से पहले, न्यायाधिकरण के सदस्य आपके और आपकी देखभाल के बारे में अस्पताल की रिपोर्टें पढ़ेंगे। न्यायाधिकरण का कोई सदस्य आपसे बात करने भी आएगा।

eU; k; kf/kdj .k dks dc vkonu dj l drk g\

आप अनुच्छेद 3 के तहत अपने अस्पताल में रहने के पहले छः महीनों में एक बार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे छमाही के दौरान एक बार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद अस्पताल में अपने रहने के दौरान हर एक साल में एक बार आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार अस्पताल के प्रबंधकों को बताता/बताती है कि वे चाहते हैं कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह कहे कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी तो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार न्यायाधिकरण में भी आवेदन कर सकता/सकती है। आपके सबसे करीबी रिश्तेदार को आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीशियन द्वारा यह कहे जाने के 28 दिनों के अंदर न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहिए कि उसे यह नहीं लगता कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यदि आप न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहें तो आप इस पते पर लिख सकते हैं :

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

फोन 0845 2232022

आप किसी वकील से अपने लिए न्यायाधिकरण को लिखने और सुनवाई के समय आपकी मदद करने को कह सकते हैं।

अस्पताल और लॉ सोसाइटी के पास इसमें विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की एक सूची है। आपको इस विषय में वकील से सहायता लेने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। कानूनी सहायता योजना के तहत यह निःशुल्क है।

vi us l cl s djhch fj' rnkj dks tkua

इस पुस्तिका की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य कानून आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कहता है।

मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों की एक सूची है जिन्हें आपके रिश्तेदार समझा जाता है। सामान्यतः, उस सूची में सबसे ऊपर मौजूद व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जो इस बात को विस्तारपूर्वक बताती है और यह बताती है कि आपकी देखभाल और उपचार के संबंध में आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के क्या अधिकार हैं।

आपके मामले में, हमें यह बताया गया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है :

यदि आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हो, तो कृपया अपने नर्स या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य को बताएं।

vi us l cl s djhch fj' rnkj dks cnyuk

यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काउंटी कोर्ट में उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है।

vki ds i =

जब तक आप अस्पताल में हैं आपके लिए भेजे गए सभी पत्र आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पत्र भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो कहे कि उन्हें आपसे पत्र नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को अस्पताल का स्टाफ रोक देगा।

dk; \H; kl l fgrk

कार्यअभ्यास संहिता अस्पताल के स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य कानून और मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों का उपचार करने के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में स्टाफ द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

eš f' kdk; r dš s dj l drk g

यदि आप अस्पताल में अपनी देखभाल और उपचार के संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से कहें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे अस्पताल की शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय प्रशासन के जरिए शिकायत का समाधान निकालने में कर सकते हैं। वे आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी मदद कर सकता हो।

यदि आपको लगता है कि अस्पताल की शिकायत की प्रक्रिया आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप किसी स्वतंत्र कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर नजर रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है और अस्पताल में रहने के दौरान रोगियों की उचित देखभाल की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताया गया है।

vf/kd I gk; rk vkj tkudkjh

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो स्टाफ का एक सदस्य इसे समझने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुस्तिका की कोई बात आप नहीं समझ पाएं हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुस्तिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।